निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अरनोद (राज.)

प्रकरण सं. – 73/16

दायरा तारीख - 5-10-16

उनवान

1. कारू पिता नानुराम जाति गायरी नि. रीछा
2. छगन पिता नानुराम जाति गायरी नि. रीछा (प्रार्थीगण)

बनाम

1. गौतम पिता नानुराम जाति गायरी नि. रीछा (अप्रार्थी)
2. तहसीलदार अरनोद

• प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट •

उपस्थित – 1. श्री पवन मावसार- अधिवक्ता (प्रार्थीगण)
2. श्री पप्पू शर्मा - अधिवक्ता (अप्रार्थीगण)

• निर्णय •

दिनाँक - 03.12.20

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रीछा प.ह. बेड़मा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के खाते में खाता सं. 30 आराजी नं. 320 रकबा 1.33 है., 322 रकबा 0.83 है. प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त दर्ज रिकार्ड, खाता सं. 14 आराजी सं. 96, 134, 140, 144, 145, 230, 231 कुल किता 7 कुल रकबा 1.57 है. प्रार्थी स. 1 के खाते दर्ज रिकॉर्ड, खाता सं. 32 आराजी नं. 88, 167, 168, 242, 296, 369 कुल किता 6 कुल रकबा 1.83 है. अप्रार्थी-1 के दर्ज रिकार्ड एवं खाता सं. 33 आराजी नं. 12/527, 81 146, 147, 325 कुल किता 5 कुल रकबा 1.93 है. प्रार्थी सं. 2 के दर्ज रिकॉर्ड है। लेकिन मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तीनो भाई मुताबिक मौखिक बँटवारा काबिज काश्त है।

प्रार्थीगण ने मौखिक बटवारे के अनुसार काबिज काश्त भूमि का आपस में दर्ज रिकार्ड करवाने के लिये कहा तो उसने मना कर दिया जबकि पैतृक आराजीयात होने के कारण संयुक्त स्वामित्व की है। अप्रार्थी स. 1 उक्त वर्णित आराजियात जोकि प्रार्थीगण के कब्जे / दर्ज रिकॉर्ड है अन्य को जबरन बेचान करना चाहता है जिससे भविष्य में मौके पर कब्जे काश्त को लेकर विवाद होने की संभावना है।

प्रार्थीगण के हित में सुविधा संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला होने से मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराया जावे कि वो वादग्रस्त आराजी को रहन, बय, बख्शीश, बेचान न स्वयं करे और न ही अन्य से करावें तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थी सं. 1 को वादग्रस्त आराजी खाता. सं. 14, 30, 32 एवं 33 पर आगामी आदेश तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पप्पू शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से समुचित अवसर मिलने पर भी जवाब पेश न करने पर जवाब बंद किया गया एवं पत्रावली पर बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् सुनी जाकर वास्ते आदेश नियत की गयी।

हमने पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अध्ययन किया एवं गौर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस पर फरमाया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से संयुक्त है अतः मौखिक बंटवारे अनुसार अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण को कब्जे काश्त भूमि पर जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे।

लगातार.....

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ने अपने साथी अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित आराजियात में से मात्र खाता सं. 30 प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त खाते दर्ज है जबकि अन्य खाते अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीगण के व्यक्तिगत रूप से दर्ज रिकार्ड है। एक रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है अत: दिनांक 05-10-16 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करमाया जावें।

उक्त विवेचना के उपरान्त वादग्रस्त आराजीयात खाता सं. 14, 30, 32 एवं 33 पर मौखिक बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी किस खसरे पर काबिज काश्त है प्रार्थना-पत्र में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ~~साथ~~ ही साथ ही खाता सं. 14 कालु पिता नानुराम गायरी जमाबंदी सम्वत् 2068-2071 (इकत्तर) दर्ज है जब कि अनुतोष कारू लाल द्वारा चाहा गया है। खाता सं. 33 छगन पिता नानुराम गायरी के दर्ज है. खाता सं.-32 गौतम पिता नानुराम गायरी अप्रार्थी सं. 1 के दर्ज एव खाता सं. 30 गौतम कारू पिता नानूराम गायरी के दर्ज रिकार्ड है। उक्त चार खातों में से एक खाता सं. 30 प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 के सयुक्त दर्ज है एवं अप्रार्थी सं. 1 ने अपना हिस्सा B.O.B. शाखा चूपना के रहन भी रखा है। खाता सं. 33 प्रार्थी सं. 2 के दर्ज रिकार्ड

लगातार....

होकर O.B.C. बैंक शाखा कुलयाना के रहन दर्ज है। खाता सं. 32 अप्रार्थी सं. 1 के दर्ज रिकार्ड होकर B.O.B. शाखा चूपना के रहन दर्ज है। खाता सं. 14 कालू [illegible] भानुराम जाखरी जो कि प्रार्थी भी नहीं है, लेम्पस अरनोद के रहन दर्ज है।

उक्त खातों में दर्ज आराजियात विभिन्न बैंकों के रहन दर्ज होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का हनन है। व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्डेड खातेदार एवं सह खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाकर दिनांक 05.10.16 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुये प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी